मध्य प्रदेश शासन
आयुष विभाग,
वल्लभ भवन क्रमांक–3, चतुर्थ तल
मंत्रालय भोपाल

//आदेश//

भोपाल दिनांक 02/03/2019

क्रमांक/768 /3901/2018/1/59 : राज्य शासन द्वारा समयमान वेतनमान के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक दिनांक 05/01/2019 में समिति द्वारा निम्नलिखित आयुर्वेद/होम्योपैथी/यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को समयमान वेतनमान की पात्रता हेतु निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति न करने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने के अनुक्रम में कॉलम 3 में उल्लिखित समयमान वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी जाती है:–

क्र.	आयुष चिकित्सा अधिकारी का नाम, पदनाम	समिति की अनुशंसा
1	2	3
1	डॉ0ए.पी.एस.बुन्देला, हो.चि.अ. जिला भोपाल।	समिति द्वारा विचारण वर्ष 2006 से 2010 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन में निर्धारित अंक नहीं होने पर 21.02.2011 की स्थिति में द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। समिति द्वारा वर्ष 2011 के गोपनीय प्रतिवेदन विचार में लिये जाने पर भी गोपनीय प्रतिवेदनों समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नही होने पर द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये । शेष वर्ष 2012 से 2018 तक की अवधि में समयमान वेतनमान पर विचार हेतु अप्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तत्काल प्रस्तुत किये जाये।
2	डॉ0छगनलाल धुवारे, सेवा0 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी जिला बालाघाट (सेवानिवृत्त 31.12.2010)	विचारण वर्ष 2002 से 2006 तक के उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं होने पर दिनांक 01.04.2006 से द्वितीय समयमान हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये । समिति द्वारा इनके आगामी वर्ष 2007 से 2010 तक द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु विचार किया गया। वर्ष 2009 एवं 2010 के गोपनीय प्रतिवेदन अनुपलब्ध है। उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन निर्धारित अंक नहीं होने पर समिति द्वारा द्वितीय समयमान वेतनमान हेतु उपयुक्त नहीं पाये गये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
म. प्र. शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /769/3901/2018/1/59 भोपाल, दिनांक 02/03/2019

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, आयुष विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल।

2– निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, आयुष विभाग।

3– आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।

4– संबंधित संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन भोपाल/जबलपुर संभाग। इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में समयमान वेतनमान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंधित प्रकरणों में समयमान वेतनमान हेतु अनुपयुक्त पाये गये संबंधित अधिकारियों को किये जा रहे अधिक भुगतान को तत्काल रोका जाकर अभी तक किये गये अधिक भुगतान की वसूली के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।

5– उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की ओर आदेश बेवसाइड पर प्रदर्शित हेतु।

6– संभागीय आयुष अधिकारी भोपाल/जबलपुर संभाग। आदेश की एक प्रति संबंधित के वर्तमान पते पर तामील कराये।

7– जिला आयुष अधिकारी भोपाल/बालाघाट/हरदा। आदेश की एक प्रति संबंधित के वर्तमान पते पर तामील कराये।

8– संबंधित डॉ0ए.पी.एस.बुन्देला, हो.चि.अ. जिला भोपाल/हरदा द्वारा– जिला आयुष अधिकारी, जिला भोपाल/हरदा।

9– डॉ0छगनलाल धुवारे, सेवा0 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी द्वारा–जिला आयुष अधिकारी जिला बालाघाट।

10– आदेश फाइल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव

म. प्र. शासन, आयुष विभाग